IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 BUREAU OF INDIAN STANDARDS SQMS

प0सं0- 1830/ वा0नि0-3/04/179

अधिसूचना

दिनांक : 17/06/2025

शासनादेश संख्या- 2438/9-आ-3-98-60एल0यू0सी0/98 दिनांक - 13.10.1998 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु परिषद की 271वीं बैठक दिनांक- 29.04.2025 के मद सं0-271/14 में परिषद की भरतपुरी योजना, गोण्डा के फेस-3 में नियोजित 12.00 मी0 चौड़ी रोड पर स्थित स्कूल भूखण्ड (1826.82 वर्ग मी0) में उपविधि के प्रस्तर 2.4 के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र उपयोग अनुमन्य करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में उक्त नियोजित स्कूल भूखण्ड के उपयोग को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तन किये जाने हेतु जन-सामान्य से आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

आपत्तियाँ/ सुझाव सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिनों की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में मुख्य वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, द्वितीय तल, नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इंदिरा नगर लखनऊ पर लिखित रूप से व ई-मेल- cap@upavp.com के माध्यम से आपत्तियाँ/ सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवास आयुक्त

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें : टोल फ्री नंबर 1800-180-5333, 0522-2236803

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

UPHousingBoard uphousingdevboard www.upavp.in